B.ed. 1st year, Paper-C2, Unit-2

* प्राथमिक शिक्षा *

15 August 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 26 January 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ बच्चों के शिक्षा के संदर्भ में 45 वी धारा में स्पष्ट निर्देश है कि "राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों का अनिवार्य एवं निः शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी।

इस निर्देश में बालकों की आयु सिमा नही दी गई है। इससे स्पष्ट है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निः शुल्क रूप से व्यवस्था करना भी सरकार का उत्तरदायित्व है। सन 2001 में ~~86~~ वी संविधान की 45 वी धारा में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु के बच्चो के लिए पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा साथ ही संक्षेप में यह है कि हमारे देश में आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का श्री गणेश अंग्रेज के शासनकाल में ही हो गया था अनेक स्थानों पर नर्सरी, मॉन्टेसरी और किन्डर-गार्टन स्कूल्स स्थापित हो गए थे। किन्तु ये केवल बड़े-बड़े नगरों मे ही थे। स्वतंत्र होने के बाद इस ओर सरकार का ध्यान सर्वप्रथम कोठारी कमीशन (1964-1966) ने खींचा। इसके बाद सरकार ने इसके लिए विशेष प्रयत्न

1974 में केन्द्र सरकार ने (राष्ट्रीय बाल नीति) घोषित की और 1975 में इस नीति के तहत समेकित बाल - विकास सेवाएँ शुरू की।

इसके अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए आँगनवाड़ी की स्थापना की गई। यह योजना अब पूरे देश में चल रही है। यह बात एकदम अलग है कि यह योजना असफल सिद्ध हुई है। इस बीच प्रांतिय सरकारों ने कुछ प्राथमिक विद्यालयों के साथ पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की शुरुआत की है।

नर्सरी, मोनटेसरी और किंडर गार्डन की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हुई। विद्याभारती द्वारा चलाए जा रहे शिशु मंदिरो और नूतन बाल शिक्षा संघ द्वारा स्थापित नूतन बाल मंदिरो में शिशु कक्षाएँ प्रारम्भ से ही चल रही है पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव में ये प्रयास अपर्याप्त सिद्ध हो रहे है। सरकार निजी संस्थाओं के इस क्षेत्र में इसे आगे बढ़ाने की एवं सरकारी संस्थाओं इन दोनों को इस क्षेत्र संबंधी आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है इस क्षेत्र में हमारा शिक्षा प्रशासन एवं वित्त का भार सरकार के किसी एक विभाग पर नहीं है। फिर हमारी केन्द्रिय और प्रांतिय सरकारों का शिक्षा बजट ही इतना कम रहा है कि हम उससे प्राथमिक शिक्षा का ~~सब~~ सार्वभौमिकरण नहीं कर पा रहे है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है।

प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ

सन 1947 ई० में भारत को ब्रिटिश सरकार के दासता से स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा स्वतंत्र भारत की संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निः शुल्क शिक्षा बनाने का संकल्प लिया। इसमें कहा गया है कि "संविधान लागू होने के दस वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

इस संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए राज्यों में प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बनाए गए। जिसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निः शुल्क बनाने का कार्यक्रम एवं विधि निर्धारित की गई, परन्तु संवैधानिक निर्देश व राज्यों द्वारा पारित अधिनियमों के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निः शुल्क बनाने का प्रयास पूरा नहीं हो सकता है। जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा में निम्नलिखित मुख्य समस्याएँ हैं :

समस्याएँ :

1. राजनीतिक समस्याएँ :

अंग्रेजी शासक ने यद्यपि शिक्षा की व्यवस्था का कार्य भारतीयों के हाथ में 1936 ई० से ही आ गया था किन्तु फिर

भी हमारे नेता प्राथमिक शिक्षा कि उन्नति तथा विकास की ओर अधिकतर ध्यान नहीं दे सके। उनके सम्मुख युद्ध, देश का विभाजन, शरणार्थी समस्या, महँगाई, बेरोजगारी, अनाज की कमी तथा विषम अंतराष्ट्रिय परिस्थितियाँ आदि ~~ऐसे~~ ऐसे अनेक समस्याएँ रहीं जो इसकी उन्नति में बाधक रही।

ii) <u>समाजिक व धार्मिक कठिनाईयाँ</u> :

भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ होने के कारण कुछ कुरूतियों अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता, छुआछुत, सतिप्रथा, पर्दा प्रथा, बाल-विवाह व जादू-टोना आदि के चुंगल में फंसी है। इनका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। इस कारण अनेक बालक - बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रह जाते है। अतः सामाजिक व धार्मिक कठिनाईयाँ भी प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रमुख समस्याएँ थी।

iii) <u>भौगोलिक कठिनाईयाँ</u> :

भारत एक विशाल देश है, यहाँ पहाड़, नदियाँ, मैदान तथा पहाड़ी क्षेत्र है। कुछ स्थान ऐसे भी है जहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था करना कठिन कार्य है। यहाँ आबादी बहुत बिखरी हुई है अतः भौगोलिक परिस्थितियाँ भी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में बहुत बाड़ी बाधक है।

iv) <u>अध्यापको की समस्या</u> : प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धि एक बड़ी समस्या है।

प्राथमिक स्तर के लिए इतने कम वेतन में योग्य प्रशिक्षित व्यक्ति इस ओर आकर्षित नहीं होते जो प्राथमिक शिक्षा के लिए एक बड़ी समस्या है।

v) <u>विद्यालयों की समस्याएँ</u> :-

बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ प्राथमिक स्कूलों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है। किन्तु इनकी दशा बहुत दैनीय है। कुछ विद्यालय ऐसे है जिनके पास अपने भवन है लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं है। जो प्राथमिक शिक्षा के लिए सबसे बड़ी समस्याएँ है।

vi) <u>प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोध की समस्याएँ</u> :-

भारतीय प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय व अवरोध की समस्या कोई नवीन समस्या नहीं है। सन् 1938 ई० में शैक्षिक उपसमिति हर्टाग समिति के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय व अवरोध की समस्या पर ध्यान दिया तथा इससे होनेवाले क्षति का अनुमान लगाया है। उन्होंने देखा कि प्राथमिक स्कूलों की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण राष्ट्र का एक विशाल मानव श्रम बेकार जाता है, जो अत्यंत चिंताजनक है।

<u>निष्कर्ष</u> :-

प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को देखने से स्पष्ट है कि आज भी हमारे देश कहीं-न-कहीं इन्हीं रूपों में

6

ये सारी समस्याएँ विद्यमान है अतः जब तक ये सभी समस्याएँ हमारे देश से हट नही जाती तब तक प्राथमिक शिक्षा में बाधा आती रहेगी, अतः हमें अपने देश की शैक्षिक स्थिति को सुधारने से पहले प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा एवं इससे जुड़ी सभी समस्याओं का निदान करना होगा।